बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की कंडिका–36 एवं 32 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में विभिन्न जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में रिक्त एवं रिक्त होने वाले अध्यक्ष पद के विरूद्ध अगले आदेश तक निम्नरूपेण जिला आयोग के अध्यक्षों को अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया जाता है:–

जिला आयोग का नाम	अध्यक्ष, जिला आयोग को अतिरिक्त प्रभार
1	2
शेखपुरा	अध्यक्ष, जिला आयोग, मुंगेर जो पूर्व से अध्यक्ष, जिला आयोग, खगड़िया के प्रभार में हैं, को अध्यक्ष, जिला आयोग, शेखपुरा का भी अतिरिक्त प्रभार; तीनों जिला आयोगों में सप्ताह में दो–दो दिन कार्य करेंगे।
नालन्दा	अध्यक्ष, जिला आयोग, लखीसराय जो पूर्व से अध्यक्ष, जिला आयोग, बेगूसराय के प्रभार में हैं, को अध्यक्ष, जिला आयोग, नालन्दा का भी अतिरिक्त प्रभार; तीनों जिला आयोगों में सप्ताह में दो–दो दिन कार्य करेंगे।
सहरसा	अध्यक्ष, जिला आयोग, मधेपुरा जो पूर्व से अध्यक्ष, जिला आयोग, अररिया के प्रभार में हैं, को अध्यक्ष, जिला आयोग, सहरसा का भी अतिरिक्त प्रभार; तीनों जिला आयोगों में सप्ताह में दो–दो दिन कार्य करेंगे।
सुपौल	अध्यक्ष, जिला आयोग, समस्तीपुर जो पूर्व से अध्यक्ष, जिला आयोग, मधुबनी के प्रभार में हैं, को अध्यक्ष, जिला आयोग, सुपौल का भी अतिरिक्त प्रभार; तीनों जिला आयोगों में सप्ताह में दो–दो दिन कार्य करेंगे।

2. जिला आयोग में अध्यक्ष के नियमित पदस्थापन होने के पश्चात यह आदेश स्वतः समाप्त हो जाएगा।
3. उपरोक्त जिला आयोग से संबंधित पूर्व में निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाएगा।
4. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
5. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

27/1/25

(विभूति रंजन चौधरी)
निदेशक–सह–विशेष सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:– खाद्य (निदे0) प्र0–I–50/2016 164 खाद्य,पटना/दिनांक 28/01/2025

प्रतिलिपि:– निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सचिव एवं निदेशक कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/25

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांकः– खाद्य (निदे0) प्र0–I–50/2016 164 खाद्य,पटना/दिनांक 28/01/2025

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/1/25

निदेशक–सह–विशेष सचिव।